

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ( ) लेखा-ए-अनुदान/आकाशि/2018/...../110.....

दिनांक 05/04/2019

:- सुनवाई हेतु नोटिस :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. अवमानना याचिका संख्या 1563/2018, 122/2019 तथा 1960/2018 में पारित आदेश क्रमशः 27.11.2018, 22.01.2019 तथा 27.09.2018 की पालना में चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत उक्त आदेशों में सम्मिलित विभागीय अधिकारियों तथा समस्त अवमानना याचिकाओं से सम्बन्धित संस्थाओं एवं याचीगणों की निम्नानुसार अंकित कार्यक्रम आयुक्त कॉलेज शिक्षा, द्वारा आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर में प्रातः 11:00 बजे से सुनवाई की जावेगी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार देय मदों के ड्यू-ड्रान स्टेटमेंट की विभागीय परिपत्र क्रमांक 2049 दिनांक 08.01.2018 में वर्णित 10 बिन्दुओं के अभिलेख/रिकॉर्ड से सत्यापन हेतु इनकी प्राप्ति की भी समीक्षा की जावेगी। सम्बन्धित याचिकाकर्ताओं को भी निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा किये गये दावों के समर्थन में तत्सम्बन्धी मदों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ दावे की पुष्टि हेतु सुनवाई के समय उपलब्ध करावें।

क्र०स०	दिनांक	पूर्व अनुदानित महाविद्यालय का नाम एवं सी.सी.पी.न.
1	09.04.2019	चिड़ावा कॉलेज, चिड़ावा झुन्झुनू। (2016/18)
2	प्रातः 11 बजे	अग्रवाल पीजी कॉलेज, जयपुर। (112/2019)
3		अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी (1960/2018)

अतः उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार विभागीय अधिकारी, सम्बन्धित संस्थाएँ तथा याचीगण उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

— sal —  
वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 24(23) विविध/लेखा-ए-अनुदान/आकाशि/2018/...../120 दिनांक 05/04/2019

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, उ.शि. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर सम्बन्धित संस्थाओं को मेल से भी सूचित करावे।
5. उपविधि परामर्शी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. लेखाधिकारी (अनुदान) उनसे सम्बन्धित संस्थाओं की सूचना याचिकावार अग्रिम रूप से तैयार करवाकर पूर्ण तथ्य सुनवाई के समय प्रस्तुत करावें।
7. सचिव, मैनेजमेंट कमेटी, सम्बन्धित संस्था।
8. अवमानना से सम्बन्धित याचीगण को याचिका में अंकित पते पर .....
9. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार (अनुदान) को पालनार्थ।
10. प्रभारी वेबसाईट, को आयुक्तालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

— sal —  
वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर